निविदा की नियम एवं शर्तें

01. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर स्थित विभिन्न स्थानों (सूची संलग्न) पर वेंडिग मशीन द्वारा चाय–कॉफी एवं पैकेज्ड खाद्य पदार्थों एवं पेय (फास्ट फुड एवं कोल्ड ड्रिंक के अतिरिक्त) के विक्रय के निमित्त स्नैक बार कैण्टीन/किऑस्क संचालन हेतु मुहर बन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती है जो कि सम्पदा कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (मुख्य परिसर) में दिनांक 10.03.2014 तक सांय 5:00 बजे तक जमा की जायेगी। निविदा की अवधि प्रथमतः 11 महीनों के लिये होगी, जो कि लाईसेन्स प्रदत्त व्यक्ति/संस्था के कार्य की गुणवत्ता इत्यादि को देखकर लाईसेन्स फीस में उचित वृद्धि कर बढ़ायी भी जा सकती है।

02. प्रत्येक स्थान पर निर्धारित स्नैक बार कैन्टीन/किऑस्क हेतु अलग–अलग निविदा फार्म भरना अनिवार्य है।

03. प्रत्येक स्नैक बार कैन्टीन/किऑस्क हेतु अलग से निविदा फार्म एवं धरोहर राशि का ड्राफ्ट सन्लग्न कर जमा करना अनिवार्य है।

04. उपरोक्त कैण्टीन/किऑस्क विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों, अध्यापकों एवं कर्मचारियों के लिए जलपान की व्यवस्था (कैण्टीन में बेचे जाने वाली सामाग्रियों की सूची निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है) निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराने के लिए खोली जा रही है। उक्त कैण्टीनों के खुलने एवं बन्द होने का समय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समयानुसार होगा।

05. निविदा प्रपत्र सम्पदा कार्यालय में दिनांक 07.03.2014 तक प्रातः 11:00 बजे से सांय 3:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में रू0 300/– के नकद भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है।

06. प्रत्येक निविदा के साथ रू0 15,000/– का (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) डिमांड ड्राफ्ट धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) के रूप में कुलसचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के नाम पर संलग्न करना अनिवार्य है। चेक अथवा नकद भुगतान स्वीकार नहीं किये जायेगें। उक्त धरोहर राशि को सफल व्यक्ति/संस्था के निविदा राशि में समायोजित कर लिया जायेगा एवं अन्य को धरोहर राशि लौटा दी जायेगी।

07. अधितकम निविदा राशि अंकित करने वाले व्यक्ति/संस्था की निविदा को सफल निविदा माना जायेगा तथा उनके द्वारा अंकित राशि को उक्त कैण्टीन हेतु प्रतिमाह की लाईसेन्स फीस मानी जायेगी। लाईसेंस फीस पर सर्विस टैक्स एवं अन्य सरकारी देय टैक्स भी सफल व्यक्ति/संस्था को भुगतान करना होगा।

08. सफल व्यक्ति/संस्था का चयन सुनिश्चित हो जाने के पश्चात उनके द्वारा प्रस्तावित निविदा राशि की

VARANASI-221005, UP, INDIA,
T : 0542-230-7251; 670-1744, 1751,1651, 1762
W:www.bhu.ac.in
E : estates_office@rediffmail.com

तीनगुना कुल धनराशि (धरोहर राशि के रूप में)निविदा खुलने के 07 दिनों के अन्दर जमा कर देना अनिवार्य होगा। किसी भी अवस्था में उक्त धरोहर राशि वापसी के समय किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जायेगा। निविदा में लगायी गयी कुल धनराशि तथा धरोहर राशि को जमा करने पर ही सफल व्यक्ति/संस्था को उपरोक्त कैण्टीन चलाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि चयनित व्यक्ति/संस्था उपरोक्त कैण्टीन चलाने के इच्छुक नहीं है एवं उनके द्वारा जमा की गयी रू0 15,000/– की धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) को जब्त कर लिया जायेगा, साथ ही साथ अगली अधिकतम राशि अंकित करने वाली निविदा पर विचार किया जायेगा।

09. विश्वविद्यालय किसी एक अथवा सभी निविदाओं को बिना किसी पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार रखता है।

10. निविदा में प्रस्तावित राशि सुपाठ्य एवं साफ सुथरी होनी चाहिए। निविदा राशि शब्दो एवं अंको दोनो में होनी चाहिए। निविदा राशि में की गयी किसी भी प्रकार का संशोधन (Overwriting) निविदा को निरस्त करने के लिए पर्याप्त है। यदि शब्दो एवं अंको में दर्शायी गयी राशि में किसी प्रकार का अन्तर होता है तो दोनो में से जो अधिक राशि होगी वही मान्य होगी। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

11. दो या अधिक व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा अंकित की गई निविदा राशि समान पाये जाने पर, कैण्टीन संचालन हेतु व्यक्ति/संस्था के चयन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास होगा जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

12. अहस्ताक्षरित निविदा को अयोग्य घोषित करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा।

13. सफल व्यक्ति/संस्था जिनको कि उक्त कैण्टीन चलाने हेतु लाईसेन्स प्रदत्त किया जायेगा, उनकी कैण्टीन की स्वच्छता, कैण्टीन में बिक्री की जाने वाली सामाग्रियों की गुणवत्ता इत्यादि बनाये रखने की भी जिम्मेदारी होगी, जिसकी जाँच समय समय पर विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत व्यक्तियों से कराई जायेगी तथा इसमें किसी भी प्रकार की कमी या किसी भी तरह की लापरवाही लाईसेन्स निरस्त करने का पर्याप्त कारण बन सकती है।

14. इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं को यह सुझाव दिया जाता है कि वे निविदा राशि अंकित करने से पूर्व परिसर स्थित विभिन्न जगहों (कैण्टीन हेतु प्रस्तावित स्थलों) का अवलोकन करने के पश्चात् इस सुविधा के लाभार्थी छात्रो, अध्यापको एवं कर्मचारियों की संख्या, कैण्टीन भवन का क्षेत्रफल तथा विक्रय की जाने वस्तुओं का आकलन करके निविदा राशि अंकित करें, क्योंकि बाद में इन्हें आधार बनाकर निविदा दर में किसी प्रकार की शिथिलता का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

15. इच्छुक व्यक्ति/संस्था अपने निविदा के साथ कैण्टीन/मेस चलाने का कार्य अनुभव का ब्योरा (यदि कोई हो तो) संलग्न करें। कार्य अुनभव वाले व्यक्तियों/संस्थाओं को उक्त कैण्टीन के लाईसेन्स निर्गत करने में वरीयता प्रदान की जायेगी।

16. उक्त कैण्टीन हेतु वेन्डिग मशीन साज सज्जा इत्यादि की स्तरीय व्यवस्था लाईसेन्स प्रदत्त व्यक्ति/संस्था को ही अपने व्यय पर करनी होगी। कैण्टीन हेतु जल एवं विद्युत बिल का भुगतान बिल के आधार पर अलग से करना होगा।

17. उक्त कैण्टीन हेतु फर्नीचर, वाटर कूलर एवं वाटर प्यूरीफायर की व्यवस्था सम्बन्धित संस्था अथवा

व्यक्ति द्वारा करायी जायेगी।

18. उक्त कैण्टीन में नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों द्वारा ग्राहको से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा होगी तथा उन्हें साफ सुथरे वर्दी में होना अनिवार्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी लाईसेन्स प्रदत्त व्यक्ति/संस्था की होगी।
19. निविदा में सफल व्यक्ति/संस्था को लाईसेन्स जारी करने से पहले उनका पुलिस/विश्वविद्यालय के मुख्य आरक्षाधिकारी द्वारा उनके चाल चलन इत्यादि का सत्यापन कराया जायेगा तथा चाल चलन अच्छा पाये जाने के पश्चात् ही लाईसेन्स जारी किया जायेगा।
20. नामित व्यक्ति/संस्था द्वारा नियुक्त कैण्टीन में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों का फोटोयुक्त आवासीय विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना होगा जिससे उनके चाल चलन इत्यादि का सत्यापन आवश्यकतानुसार कराया जा सके।
21. चयनित व्यक्ति/संस्था के द्वारा नियुक्त कैण्टीन में कार्यरत सभी कर्मचारियों को किसी भी संक्रामक बीमारी से ग्रसित होने पर विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि उन्हें तत्काल प्रभाव से कैण्टीन की सेवा से वंचित करने का निर्णय ले सके तथा चयनित व्यक्ति/संस्था को उन्हें तुरन्त सेवा से वंचित करना होगा।
22. चयनित व्यक्ति/संस्था किसी भी रूप में बाल श्रमिक को कैण्टीन संचालन हेतु नहीं रखेगी।
23. यदि उपरोक्त कैण्टीन संचालन हेतु जिला प्रशासन से किसी भी प्रकार की आवश्यकता बनती है तो उसको प्राप्त करने की जिम्मेदारी चयनित व्यक्ति/संस्था की होगी।
24. प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय निर्धारित लाईसेन्स फीस की समीक्षा करते हुए लाईसेंस की अवधि बढ़ाये जाने की स्थिति में उसमें 5 प्रतिशत की दर से अथवा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों से आवश्यक बढ़ोत्तरी भी करेगा, जिस पर सर्विस टैक्स भी देय होगा, जो की लाईसेन्स प्रदत्त व्यक्ति/संस्था को मान्य होगा।
25. निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी रखने हेतु यदि विश्वविद्यालय के संज्ञान में आता है कि किसी व्यक्ति/संस्था की निविदा भ्रामक है जो कि एक सुयोग्य निविदा को इस निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित होने में बाधा पहुचाँ रही है तो उस निविदा को निरस्त करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय बाध्यकारी एवं सर्वमान्य होगा।
26. विश्वविद्यालय एवं उसके किसी कर्मचारी के द्वारा इस निविदा प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के हित में लिये गये निर्णय के विरूद्व किसी भी प्रकार का वाद अथवा अन्य विधिक प्रक्रिया लागू नहीं होगी।
27. प्रस्तावित स्नैकबार कैन्टीन हेतु प्रदत्त जगह पर ही कैन्टीन का संचालन किया जायेगा जिसका निर्माण आधुनिक तरीकों से करते हुए (मूल ढ़ांचे में बिना कोई बदलाव किये हुए) संचालक द्वारा किया जायेगा।
28. **विश्वविद्यालय सेवा में कार्यरत कोई भी कर्मचारी उपरोक्त निविदा को नहीं भर सकता।**
29. **सफल निविदाकर्त्ता द्वारा विश्वविद्यालय के लाईसेंस नियमों तथा समय–समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन बाध्यकारी होगा।**

कुलसचिव
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

स्नैक बार कैन्टीन/किऑस्क (Kiosk) के संचालन हेतु प्रस्तावित स्थानों की सूची एवं विवरण

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर स्थित निम्नलिखित स्थानों पर अत्याधुनिक एवं उच्च स्तरीय कैन्टीन/फुड किऑस्क (Food Kiosk) चलाने एवं उनमें वेंडिग मशीन द्वारा चाय, कॉफी आदि तरल पेय (पेप्सी, कोका कोला एवं लिम्का के अतिरिक्त) के साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले पैकेज्ड खाद्य पदार्थों (फास्ट फुड के अतिरिक्त) की बिक्री हेतु देश के विभिन्न प्रतिष्ठित खाद्य श्रृंख्लाओं (Food Chains)/फर्मों/व्यक्तियों से संलग्न शर्तों पर मुहर बन्द निविदाएं आमन्त्रित की जाती है। यह अपेक्षित है कि इन कैन्टीन/ Kiosk का निर्माण अत्याधुनिक तरीके से तथा उच्च स्तरीय सुविधाओं से युक्त होगा एवं इनके संचालन में उच्च कोटि की सेवा प्रदान करते हुए खाद्य पदार्थों की उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखा जायेगा।

01. **प्रवन्ध शास्त्र संकाय** – काशी हिन्दू विश्वविद्यालय अन्तगर्त स्थापित प्रवन्ध शास्त्र संकाय देश के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों में ख्यातिलब्ध हैं। इस संस्थान से उत्तीर्ण विद्यार्थी आज देश/ विदेश के विभिन्न कम्पनियों/प्रतिष्ठानों में उँचे पद पर उंची ततख्वाह पर कार्यरत है। वर्तमान में इस संकाय में लगभग 350 के आसपास विद्यार्थी के अतिरिक्त लगभग 50 अध्यापक तथा कार्यालयीय कर्मचारी भी कार्यरत है। इस संस्थान में विभिन्न कम्पनियाँ/बैंक/एजेन्सीज अपनी–अपनी कम्पनियों में आवश्यकतानुसार सदस्यों के चयन (Placement) हेतु आती जाती रहती है जो कि वर्षपर्यन्त चलता रहता है। इन सब के अतिरिक्त संकाय में उच्च स्तरीय शैक्षणिक गतिविधियाँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम, आउटरिच/एक्सटेंशन/विजनेस आदि भी संचालित होती रहती है।

02. **भारत कला भवन** – काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर स्थित भारत कला भवन संग्रहालय भारतीय कला एवं पुरातत्व सामग्री का एक अनूठा संग्रहालय है। प्रसिद्ध देशभक्त एवं कवि रविन्द्रनाथ टैगोर इसके प्रथम सभापति थे। इस अनूठे संग्रहालय में लगभग 01 लाख से अधिक विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ, पत्थर मूर्तियां, सिक्के, चित्र, वसन, मृणमूर्तियां, मनके शाही फरमान, अस्त्र–शस्त्र एवं साहित्यिक सामग्री आदि है, जिसे देखने हेतु प्रतिवर्ष देश एवं विदेश से भारी संख्या में पयर्टक आते रहते हैं एवं इसमें वर्षपर्यन्त शैक्षणिक

गतिविधियों एवं प्रदर्शिनियों का आयोजन किया जाता है।

03. **शिक्षा संकाय** – शिक्षा संकाय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कमच्छा प्रांगण में स्थित है। यहाँ पर बी0एड0, बी0एड0 (विशिष्ट), एम0एड0, एम0एड0 (विशिष्ट), एम0 एड0 (अंश–कालिक) पाठयक्रम संचालित किये जाते हैं। संकाय में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का एक अध्ययन केन्द्र है। छात्रों और शोधार्थियों की कुल संख्या लगभग 690 तथा अध्यापकों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 53 है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर शिक्षा एवं विशिष्ट शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है जिसमें देश/विदेश से शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त गणमान्य व्यक्ति भाग लेते हैं।

04. **विज्ञान संकाय** – विज्ञान संकाय में 13 विभाग, 02 स्कूल और 06 अन्तर्विषयी केन्द्र हैं। वर्तमान में इस संकाय में लगभग 5,550 के आसपास विद्यार्थी के अतिरिक्त लगभग 500 अध्यापक तथा कार्यालयीय कर्मचारी भी कार्यरत है। यहाँ पर साक्षात्कार के माध्यम से छात्रों को रोजगार के अवसर भी तेजी से प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ समय–समय पर कई तरह के विज्ञान एवं प्रौधोगिकी से सम्बन्धित प्रदर्शिनियों/कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें देश/विदेश के वैज्ञानिक एवं छात्र भाग लेते हैं।

05. **केन्द्रीय विद्यालय** – काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर स्थित केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के आश्रितों के लिये किया गया है जिसमें कक्षा 01 से लेकर 12 तक की अग्रेंजी माध्यम से अध्ध्यन की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान में विद्यालय में लगभग 1,750 विद्यार्थी एवं लगभग 60 अध्यापक एवं कर्मचारी कार्यरत हैं।

----XXX----